प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 69/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने" विषय पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करना" विषय पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया।

2. वर्तमान में, भारत में एनालॉग स्थलीय रेडियो प्रसारण मीडियम वेव (एमडब्ल्यू) (526-1606 किलोहर्ट्ज़), शॉर्ट वेव (एसडब्ल्यू) (6-22 मेगाहर्ट्ज) और वी एचएफ-II (88-108 मेगाहर्ट्ज) स्पेक्ट्रम बैंड में किया जाता है। इस बैंड में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (एफएम) प्रौद्योगिकी की तैनाती के कारण वीएचएफ-II बैंड को लोकप्रिय रूप से एफएम बैंड के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) - सार्वजनिक सेवा प्रसारक - एमडब्ल्यू, एसडब्ल्यू और एफएम बैंड में रेडियो प्रसारण सेवाएँ प्रदान करता है। निजी क्षेत्र के रेडियो प्रसारकों को केवल एफएम फ़्रीक्वेंसी बैंड (88-108 मेगाहर्ट्ज) में कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुज्ञप्ति दी गई है।

3. एनालॉग रेडियो प्रसारण की तुलना में डिजिटल रेडियो प्रसारण से कई लाभ होंगे। डिजिटल रेडियो प्रसारण का मुख्य लाभ सभी चैनलों के लिए ऑडियो की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए एक ही आवृत्ति वाहक पर तीन से चार चैनलों को प्रसारित करने की क्षमता है, जबकि एनालॉग मोड में एक आवृत्ति वाहक पर केवल एक ही चैनल का प्रसारण संभव है। प्रतिस्पर्धी परिवेश में, डिजिटल रेडियो प्रसारण रेडियो प्रसारकों को रोमांचक नए अवसर प्रदान कर सकता है और साथ ही श्रोताओं को मूल्य-वर्धित सेवाओं की मेजबानी भी प्रदान कर सकता है।

4. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) ने अपने एनालॉग एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू रेडियो प्रसारण नेटवर्क का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है और अपने मौजूदा 38 एनालॉग ट्रांसमीटरों को डिजिटल ट्रांसमीटरों से बदल दिया है। एआईआर द्वारा एफएम बैंड में भी डिजिटल रेडियो प्रौद्योगिकियों के लिए परीक्षण किए गए हैं। तथापि, निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा एफएम बैंड के डिजिटलीकरण की दिशा में किसी पहल का अभी भी इंतजार है।

5. एक पारिस्थितिकी तंत्र, जो डिजिटल रेडियो प्रसारण की तैनाती की सुविधा प्रदान कर सकता है को विकसित करने हेतु, भादूविप्रा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिनांक 1 फरवरी 2018 को "भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" विषय पर अपनी अनुशंसाएं दीं। अपनी इन अनुशंसाओं में प्राधिकरण ने माना कि सभी हितधारकों - रेडियो प्रसारकों, ट्रांसमिशन उपकरण विनिर्माताओं और डिजिटल रेडियो रिसीवर विनिर्माताओं - को एक मंच पर लाने और डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की

आवश्यकता है। प्राधिकरण ने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार को भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए एक विस्तृत नीति ढांचे के साथ आना चाहिए, जिसमें समयबद्ध तरीके से डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवाओं को शुरू करने हेतु विस्तृत रोडमैप प्रदान किया जाना चाहिए।

6. अब, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 23 अप्रैल 2024 के अपने संदर्भ के माध्यम से निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर भादूविप्रा से अनुशंसाएं मांगी हैं। एमआईबी ने उल्लेख किया है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन को पूरा करने हेतु, एफएम चरण- III नीति के तहत कुछ मौजूदा प्रावधानों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। एमआईबी ने कुछ मुद्दों पर भी प्रकाश डाला है जिन पर डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति के संबंध में अनुशंसाएं तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।

7. तदनुसार, भादूविप्रा ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए यह परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से दिनांक 28 अक्टूबर 2024 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। यदि कोई प्रति-टिप्पणियाँ हों, तो उन्हें दिनांक 11 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

9. परामर्श पत्र का पूर्ण पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(महेंद्र श्रीवास्तव)
प्रभारी सचिव (भादूविप्रा)

******